Annexure-I

#### FORM-I (for Linear Projects)

#### Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

No.

Dated: 14 /01/2015

#### TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that 2.219 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Department Uttarakhand for Extension of Bagoli Koti Motor Road in district Chamoli falls within jurisdiction of Koti, Painkholi Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.219 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

Sanjay Kumar District Mugistrate Chaman (Cuttarakhand)

## Office of the District Collector, District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act )FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhnad), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 14.2015. At 14.5016 at Chamoli in which the application claiming rights in village Koti, Painkholi of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 2.219 Hectares for the Extension of Bagoli Koti Motor Road in district Chamoli of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

Sanjay Kumar
District Magistrate –cumChairman District Level
Committee, Chamoli

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत बगोली-कोटी मोटर मार्ग का विस्तार।

# कार्यालय उप जिलाधिकारी

### अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड .......चमोली.......परिक्षेत्र के अर्न्तगत जनपद चमोली के विकास खण्डं कर्णप्रयाग के अर्न्तगत बगोली—कोटी मोटर मार्ग का विस्तार (....х....हे. आरक्षित वन भूमि...0.245...हे. सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.974 .हे. वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.219 हे. वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अर्न्तगत उप खण्ड स्तरीय समिति, (तहसील— कर्णप्रयाग) की दिनांक (3.101.1015......को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक [3/0] उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

5- भी माल प्रति प्राप्ति वन अस्ति। हमीनी म्पूर्ण कार्या कार्यामा स्मानी

प्रयोक्ता एजेन्यी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम स्मा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेत प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय बनाधिकारी विकास मन अमाज द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागमत वन निवासी (वन अधिकारों कीर मान्यता) अधिनिमयम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जनकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अण्ध्रिगिनमयम 2006 के अन्त्रगत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्जतुत नहीं हिकया गयाह । इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मिति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अर्न्तगत बगोली—कोटी मोटर मार्ग के विस्तार हेतु परियोजना के निर्माण हेतु ...2.219..हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप खण्ड स्त्ररीय वन अधिकार समिति

तहसील- कर्णप्रयाम जनपद – चमोली।


प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवासही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील– कर्णप्रयाग जनपद – चमोली। परियोजना का नाम:— जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत बगोली—कोटी मोटर मार्ग का विस्तार।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण —पत्र ग्राम पंचायत का नाम:— कोटी तहसील — कर्णप्रयाग, जिला.— चमोली,

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अर्न्तगत जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत बगोली—कोटी मोटर मार्ग का विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु( X हे. आरक्षित वन भूमि, 0.245 हे. सिविल सोयम भूमि 1.974 हे., वन पंचायत भूमि X हे.) अर्थात कुल 2.219 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह./−

ग्राम सचिव.

ग्राम प्रधान— कोटी

नोट:— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

> उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

> > प्रपत्र- 23.1

दिनाक 6-1-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थित

ग्राम पंचायत – कोटी

कमांक

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम

1:- सर्व. श्री लक्ष्मी प्रसाद
2- 21275 42-129
3:- >UCI ( PIÈ CIQO
4:- 612011 PAIE
5:- 212111 E
6. ANS 21 SUS
7) BD DIONNOLI
8 - 511(11/2)
9 >727 010

hand Had